बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि ३० जुलाई, १९७३ ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ५१, ७१ एवं ७२ ...	१—१०
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ९, ४५७, १०९५-११०० एवं ११३१	१०—२८
परिशिष्ट -१—ता० प्र० सं० ६ से सम्बन्धित सूची ...	२९—४०
परिशिष्ट २ (प्रश्नोत्तर के लिखित उत्तर)	४१—८०
दैनिक निबंध :	८१—८२

टिप्पणी :—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है।

परिशिष्ट—२

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ८९ (३) के अन्तर्गत सभा-मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

सेवा आयु की वृद्धि।

१०५। श्री अजित कुमार बनर्जी—क्या मंत्री, कार्मिक विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा आयु ५५ वर्ष न रह कर ५८ वर्ष ही रहेगी, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कब तक विज्ञप्ति निकालना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या विगत मंत्रिमण्डल के जीवन काल में ऐसा निर्णय लिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर पुनः ५८ वर्ष कर दी जाय, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्त्तमान मंत्रिमंडल कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री अब्दुल गफूर—(१) प्रश्न सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

जप्ती का औचित्य।

१०६। श्री कृष्ण प्रताप सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौली थाना के आरक्षी अधिकारियों ने भू० पू० विधायक श्री रामायण शुक्ल ग्राम करदहां के घर पर १४ जून, ७३ को संध्या पांच बजे अकारण सशस्त्र पुलिस की सहायता से सारे समान उठा ले गये, ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री शुक्ल जो उस इलाके के एक लब्धप्रतिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्त्ता हैं एवं १९४२ के आंदोलन में इनका घर जलाया गया था ;